

## प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 27.11.2022 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना रूरा पुलिस द्वारा अभियुक्त अजय कुमार उर्फ रिकू पुत्र स्व० नाथूराम नि० ग्राम अंगदपुर थाना रूरा कानपुर देहात के कब्जे से 20 अदद क्वार्टर टिवन टावर देशी शराब नाजायज बरामद कर गिरफ्तार किया गया अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना राजपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र रमेश नि० ग्राम खासबरा थाना राजपुर कानपुर देहात के कब्जे से 14 अदद क्वार्टर देशी शराब नाजायज बरामद कर गिरफ्तार किया गया अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त रामसेवक उर्फ छोटे पुत्र स्व० रज्जु लाल नि० ग्राम गलुवापुर थाना डेरापुर कानपुर देहात के कब्जे से 15 अदद क्वार्टर टिवन टावर देशी शराब नाजायज बरामद कर गिरफ्तार किया गया अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त कृपाल सिंह पुत्र स्व० रामगोपाल सिंह नि० ग्राम कोहावा थाना रसूलाबाद कानपुर देहात के कब्जे से 18 अदद क्वार्टर टिवन टावर देशी शराब नाजायज बरामद कर गिरफ्तार किया गया अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. अजीत सिंह पुत्र नाथूराम 2. भीम सिंह पुत्र राम सिंह 3. दीपू पुत्र सालिकराम 4. अरुण कुमार पुत्र कल्लू नि० गण सधवापुर थाना मंगलपुर कानपुर देहात को सार्वजनिक स्थान पर हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त कामता पुत्र सूबेदार नि० ग्राम परैरापुर थाना भोगनीपुर कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त बजरंगी यादव पुत्र जगदीश नि० गांधी नगर कस्बा व थाना शिवली कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 17 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द०प्र०सं० में किया गया। जिसमें थाना गजनेर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रनियां पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रूरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना शिवली पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों का धारा 151 द०प्र०सं० के अन्तर्गत चालान किया गया।